

फैक्ट सीट

1- परियोजना का नाम- Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रपाल () -

आरक्षित वन भूमि - 0.7905 हेक्टेयर

सिविल एवं सोयम वन भूमि - 0.00 हेक्टेयर

वन पंचायत भूमि- 0.00 हेक्टेयर

निजी भूमि- 55.2345 हेक्टेयर

योग - 56.0250 हेक्टेयर

3- प्रस्तावक विभाग का नाम- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Bareilly (UP)

4- वन प्रभाग का नाम- हाँ / नहीं

5- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है- हाँ / नहीं

6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है- हाँ / नहीं

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है हाँ / नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ / नहीं

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है- हाँ / नहीं

10- प्रभावित होने वाले वृक्षों के संख्या की सूची / प्रमाण पत्र सलग्न है- हाँ / नहीं

11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र सलग्न है (उक्त निमार्ण में कोई भी बांज प्रजाति का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है)- हाँ / नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - हाँ / नहीं

13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची सलग्न है- हाँ / नहीं

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- हाँ / नहीं

15- क्या क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में सलग्न है- हाँ / नहीं

16- क्या मानचित्र में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है- हाँ / नहीं

अजय कुमार शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील - सितारगंज

वन क्षेत्राधिकारी
बाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंज
तराई पूर्वी प्रभाग, हल्द्वारी

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली (उ०प्र०)

सुपाल सिंह
कठवीर

17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना सलग्न है- हाँ / नहीं

18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है- हाँ / नहीं

19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी केरेडोर का हिस्सा है- हाँ / नहीं

20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है- हाँ / नहीं

21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है- लागू नहीं

22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है हाँ / नहीं

23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है- हाँ / नहीं

24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है- हाँ / नहीं

25-यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सलग्न किया जाय - लागू नहीं

26-सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं- हाँ / नहीं

27-वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण- हाँ / नहीं

28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है0 से अधिक के प्रकरण में लागू होगा)- हाँ / नहीं

29- मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है- हाँ / नहीं

30-मलवे की योजना मय मानचित्र के सलग्न हैअथवामलये के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सलग्न है- लागू नहीं

अजन्त कुमार शर्मा
राजस्थान एवं निरीक्षक
परियोजना

वन क्षेत्राधिकारी
बाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंज
तराई पूर्वी प्रभाग, इलाहाबाद


परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यालयन इकाई, बरेली

2/11/17

- 31- राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में सुलग्न है- हाँ / नहीं
- 32- क्या प्रस्ताव में सुलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में सुलग्न हैं (यदि छायाप्रतियाँ सुलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं- हाँ / नहीं)
- 33- यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र सुलग्न है- लागू नहीं
- 34- वित्तीय प्रशासनिक / स्वीकृति सुलग्न है- हाँ / नहीं
- 35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- हाँ / नहीं
- 36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र सुलग्न है- हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फेक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनार्थ सुलग्न कर दी गयी हैं।


अर्जुन कुमार शर्मा
राजस्व एवं निरीक्षक
ताराकोली-सिनाजगंज


वन क्षेत्राधिकारी
बाराकोली वन क्षेत्र, सितागंज
तराई पूर्वी प्रभाग, हल्द्वानी


परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली (उत्तर)